

19/6/24

अन्तर्गत धारा 212 RFA के तहत पेश किया गया। प्रारम्भिक पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये सम्यक नोटिस से की जाकर पत्रावली दिनांक 19/7/24 को पेश करे।

*[Signature]*

13/7/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्य अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। स्थिति पूर्वानुसार दि. 05/8/24 को पेश हो

10/9/24

पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 30/10/24 को पेश हो

4/11/24

30/10/24 को राजनीति अधिकारी पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 23/12/24 को पेश हो

23/12/24 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी एवं उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं। उक्त प्रकरण से सम्बंधित मूल वाद आज अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के खारिज हो चुका है। अतः मूल वाद के खारिज होने के कारण प्रकरण

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर दे  
अहकाम  
हुक्म को  
में जारी  
उपखण

का कोई औचित्य नहीं है।  
ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्र.  
पत्र खारिज किया जाता है।  
पश्चात् फौजदारी शुरू होकर  
नम्बर से कग हो डाखिल  
दफ्तर हो

लिख